

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या—6 / वि०पत्रा०—24—81 / 2025

पटना, दिनांक:—

श्री श्याम बहादुर सिंह, अवर सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 06.02.2026 से 13.02.2026 तक कुल 08 दिनों का उपार्जित अवकाश एवं बिहार सेवा संहिता के नियम 159 के तहत दिनांक—14.02.2026 को शनिवारीय एवं दिनांक—15.02.2026 को रविवारीय अवकाश की क्रमशः घटनोत्तर स्वीकृति एवं अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्री सिंह के अवकाश लेखा में (300—08=292) (दो सौ बानवे) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह० /—

(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6 / वि०पत्रा०—24—81 / 2025 1621 पटना, दिनांक:— 11/05/26

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / गोडल पदाधिकारी, एच० आर० एम० एस०, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / आई० टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री श्याम बहादुर सिंह, अवर सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।